रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 692] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 2017/श्रावण 23, 1939
No. 692] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 2017/SRAVANA 23, 1939

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 1015(अ).—केंद्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (2011 का पंजाब अधिनियम 24) और पंजाब सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का पंजाब अधिनियम 10) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को विस्तारित करती है, अर्थात् :-

### उपांतरण

### पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011

(पंजाब अधिनियम 2011 का 24)

1. पूरे अधिनियम में "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे।

2. खंड (1) में, उपखंड (1) में, "सेवा अधिनियम, 2011" शब्दों और अंकों के पश्चात् "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को यथाविस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

3. खंड 2 में, उपखंड (ट) में, "पंजाब राज्य की सरकार" शब्दों के स्थान पर, "संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 12 में, उपधारा (1) में, -

   क) "पंजाब सेवा का अधिकार आयोग" शब्दों के स्थान पर "चंडीगढ़ सेवा का अधिकार आयोग" शब्द रखे जाएंगे;

   ख) परंतुक में, "वित्त आयुक्त" शब्दों के स्थान पर "प्रशासक का सलाहकार" शब्द रखे जाएंगे;

5. धारा 13 में, -

क) उपधारा (1) में, "पंजाब विधान सभा में विपक्ष का नेता" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार" शब्द रखे जाएंगे;

ख) उपधारा (2) में, "पंजाब राज्य का मुख्य सचिव या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

ग) उपधारा (3) में, "पंजाब काडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "पंजाब या हरियाणा या अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र काडर से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 15 में, उपधारा (3) और उपधारा (4) में, दोनों स्थानों पर "राज्य पाल" शब्द के स्थान पर "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा।

7. धारा 18 में, उपधारा (2) में , "पंजाब विधान सभा" शब्दों के स्थान पर "संसद" शब्द रखा जाएगा।

8. धारा 21 में, उपधारा (3) में, "राज्य विधान मंडल के सदन" शब्दों के स्थान पर "संसद का प्रत्येक सदन" शब्द रखे जाएंगे।

9. धारा 23 का लोप किया जाएगा।

**पंजाब सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014**

**(पंजाब अधिनियम 2014 का 10)**

10. धारा 1 में, उपधारा (1) में, "सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2014" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को यथाविस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू.-11020/2/2014-यूटीएल]

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव

**उपाबंध 1**

पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण), तारीख अक्तूबर 20, 2011

भाग-1
विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब
**अधिसूचना**
20 अक्तूबर, 2011

संख्यांक 37 विधायी/2011-पंजाब राज्य की विधान सभा के निम्नलिखित अधिनियम को पंजाब की सहमति 19 अक्तूबर, 2011 को हुई, और साधारण जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:--

पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011
(पंजाब अधिनियम संख्यांक 2011 का 24)

**अधिनियम**

दी गई समय-सीमा में पंजाब राज्य के लोगों के लिए सेवाओं को प्रदान करने के लिए और उनसे संबंधित तथा उनके अनुषांगिक मामलों के लिए

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में पंजाब राज्य के विधान द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब सेवा का अधिकार, 2011 है

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होगा।

IndiaCode

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'आयोग' से धारा 12 के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है;

(ख) 'पदाभिहित अधिकारी' से धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) 'पात्र व्यक्ति' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवाओं को अभिप्राप्त करने के लिए पात्र है;

(घ) 'प्रथम अपील प्राधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 3 के अधीन इस प्रकार अधिसूचित है;

(ङ) 'दी गई समय-सीमा' से धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय अभिप्रेत है;

(च) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(छ) 'सेवा का अधिकार' से दी गई समय-सीमा के भीतर सेवा अभिप्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(ज) 'सेवा' से धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा अभिप्रेत है;

(झ) 'दूसरी अपील प्राधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 3 के अधीन इस प्रकार अधिसूचित है;

(ञ) 'धारा' से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ट) 'राज्य सरकार' से पंजाब राज्य की सरकार अभिप्रेत है।

सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारी, दूसरी अपील प्राधिकारी और दी गई समय-सीमा की अधिसूचना।

3. (1) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा ऐसी सेवाओं को अधिसूचित कर सकेगी जिनको यह अधिनियम लागू होगा।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, दूसरी अपील प्राधिकारी और दी गई समय-सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

सेवाएं प्रदान करना।

4. पदाभिहित अधिकारी दी गई समय-सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा प्रदान करेगा।

सेवा अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया।

5. (1) कोई पात्र व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी सेवा को अभिप्राप्त करने के लिए पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) पदाभिहित अधिकारी उपधारा(1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर सेवा प्रदान करेगा या दी गई समय-सीमा के भीतर आवेदन को अस्वीकृत करेगा और आवेदन की अस्वीकृति की दशा में लिखित में कारणों को अभिलिखित करेगा तथा उसे आवेदक को सूचित करेगा।

(3) प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी आवेदित सेवाओं का विस्तृत अभिलेख विहित प्रपत्र पर रखेगा।

प्रथम अपील।

6. (1) कोई पात्र व्यक्ति जिसका सेवा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया गया है या जिसे दी गई समय-सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं की गई है, यथास्थिति, अस्वीकृति की तारीख से 30 दिन के भीतर या दी गई समय-सीमा की समाप्ति पर प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

(2) प्रथम अपील प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर मांगने पर विचार करेगा और उसकी राय में पात्र व्यक्ति की शिकायत सत्य प्रतीत होती है, तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर सेवा प्रदान करने के लिए निदेश दे

IndiaCode

सकेगा और व्यतिक्रम की दशा में उसे व्यक्तिगत रुप में अपने समक्ष पेश होने और उसके लिए कारणों को स्पष्ट करने का निदेश दे सकेगा ।

(3) पदाभिहित अधिकारी और पात्र व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, प्रथम अपील प्राधिकारी लिखत में किए गए आदेश द्वारा अपील को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का आदेश पारित कर सकेगा और अस्वीकृति की दशा में अस्वीकृति के लिए कारण उसके द्वारा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा उनको पात्र व्यक्ति को संसूचित करेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन की गई अपील के अधीन अंतिम निपटान प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा यथासंभव उसकी प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

दूसरी अपील ।

7. (1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसकी सेवा अभिप्राप्त करने के लिए अपील अस्वीकृत की जाती है या जिसको धारा 6 के अधीन प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर सेवा प्रदान नहीं की जाती है, ऐसी अस्वीकृति की तारीख से 30 दिन के भीतर या प्रथम अपील प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति पर दूसरे अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ।

(2) दूसरा अपील प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर या तो अपील बोर्ड स्वीकार करते हुए और पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि, जो विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा प्रदान करने के लिए निर्देश देते हुए आदेश पारित कर सकेगा या लिखत में अस्वीकृति के कारणों को अभिलिखित करते हुए अस्वीकृत कर सकेगा :

परंतु अपील को अस्वीकृत करने से पूर्व दूसरे अपील प्राधिकारी द्वारा पात्र व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि दूसरे अपील प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया आदेश पात्र व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा :

परंतु यह और कि उपधारा (1) के अधीन की गई अपील दूसरे अपील प्राधिकारी द्वारा यथासंभव अपील की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर विनिश्चित की जाएगी ।

समन करने और निरीक्षण की शक्ति ।

8. प्रथम अपील प्राधिकारी और दूसरे अपील प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपील को विनिश्चित करते हुए वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते हुए सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात् :

(क) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और निरीक्षण करने की अपेक्षा करना

(ख) पदाभिहित अधिकारी और अपीलार्थी को सुनवाई के लिए समन जारी करना; और

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए ।

शास्ति ।

9. (1) (क) जहां दूसरे अपील प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में अंतर्वलित पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य कर्मचारी बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विफल रहा हो/रहे हैं, वहां यह ऐसी सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में अंतर्वलित पदाभिहित अधिकारी और/या किसी अन्य कर्मचारी पर एक मुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो पांच सौ रुपये से अन्यून और पांच हजार रुपये से अनधिक होगी ;

(ख) जहां दूसरे अपील प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में अंतर्वलित पदाभिहित अधिकारी और/या कोई अन्य कर्मचारी ने सेवा प्रदान करने में असम्यक विलंब कारित किया है, वहां वह ऐसी सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में अंतर्वलित पदाभिहित अधिकारी और/या किसी कर्मचारी पर ऐसे विलंब के लिए दो पचास रुपये प्रतिदिन की दर पर शास्ति अधरोपित कर सकेगा, जो पांच हजार रुपये से अनधिक होगी :

परंतु ऐसी सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में अंतर्वलित पदाभिहित अधिकारी और/या किसी अन्य

कर्मचारी को उपखंड (क) और (ख) के अधीन उस/उन पर किसी शास्ति को अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(2) अपील प्राधिकारी, किसी आदेश द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम में से अपीलार्थी को प्रतिकर के रुप में ऐसी रकम दे सकेगा, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जो इस प्रकार अधिरोपित शास्ति की कुल रकम से अनधिक होगी।

(3) यदि दूसरे अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में अंतर्वलित पदाभिहित अधिकारी और/या किसी अन्य कर्मचारी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों को निपटाने में विफल रहा है/रहे हैं, तो वह उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उनको लागू सेवा नियमों के अधीन व्यतिक्रमों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश कर सकेगा।

10. कोई व्यक्ति जो दूसरे अपील प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित है, धारा 12 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उक्त आदेश की पुनरीक्षण के लिए आयोग या इस संबंध में नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसका निपटारा ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए :

परंतु, यथास्थिति, आयोग या नामनिर्दिष्ट अधिकारी आवेदन को साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन को किसी युक्तियुक्त कारण से समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था।

सेवाओं और दी गई समय-सीमा प्रदर्शित करना।

11. सेवाएं और दी गई समय-सीमा जनता की सूचना के लिए संबंधित विभाग के सचिव द्वारा स्थानीय रुप से और वैब साइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

आयोग का गठन।

12. (1) यदि राज्य सरकार के राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयोग का गठन कर सकेगी, जिसे पंजाब सेवा का अधिकार आयोग नाम से जाना जाएगा :

परंतु ऐसे समय, जब तक राज्य सरकार द्वारा आयोग का गठन नहीं किया जाता है, वह अधिसूचना द्वारा वित्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून राज्य सरकार के किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने और आयोग की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसे पूर्वोक्त नाम से जाना जाएगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और निपटाने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वाद ला सकेगी या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़ या ऐसे स्थान में होगा जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित कर सकेगी।

आयोग की संरचना।

13. (1) आयोग एक मुख्य आयुक्त और चार आयुक्तों से मिलकर बनेगा तथा उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा पंजाब विधान सभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से की जाएगी।

(2) मुख्य आयुक्त पंजाब राज्य के मुख्य सचिव या भारत सरकार के सचिव की पंक्ति और स्तर का कोई सेवानिवृत्त अधिकारी होगा।

(3) आयुक्त, सचिव की पंक्ति और स्तर के पंजाब सरकार या राज्य की किसी भी सेवा में उसके समतुल्य पंक्ति और स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी, जिनके अंतर्गत पंजाब काडर से अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी और/या शिक्षण या प्रशासन में कम से कम बीस वर्ष के अनुभव सहित लोक प्रशासन या ई-शासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ या अन्य विख्यात व्यक्तियों में से होंगे।

मुख्य आयुक्त की शक्तियां ।

14. (1) मुख्य आयुक्त को आयोग के कार्यों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निर्देश की शक्तियां होंगी । मुख्य आयुक्त आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार उसमें निहित आयोग की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) मुख्य आयुक्त की अनुपस्थिति या मुख्य आयुक्त की रिक्ति की दशा में राज्य सरकार, जब तक रिक्ति या अनुपस्थिति बनी रहती है, तब तक आयुक्तों में से किसी एक को मुख्य आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन मुख्य आयुक्त के कृत्य और शक्तियों का पालन करने वाला नामनिर्दिष्ट आयुक्त, किसी प्रतिकर, भत्ते या किसी अतिरिक्त सुविधा का हकदार नहीं होगा, जिसका वह आयुक्त के रूप में हकदार है ।

मुख्य आयुक्त और आयुक्तों के कार्यालय की अवधि और सेवा की शर्तें ।

15. (1) मुख्य आयुक्त और आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वे अपने-अपने पद ग्रहण करते हैं, पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे पैंसठ वर्ष, की आयु प्राप्त करने तक, जिनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, पदधारण करेंगे और वे पुनर्नियोजन के लिए हकदार नहीं होंगे ।

(2) यदि कोई व्यक्ति पहले से ही मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में नियुक्त है तो उसे आयोग में पदग्रहण करने से पहले उस कार्यालय से पद त्याग करना होगा या त्यागपत्र देना होगा ।

(3) मुख्य आयुक्त या कोई आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(4) मुख्य आयुक्त या कोई आयुक्त, किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित द्वारा अपना पद त्याग सकेगा । वह धारा 16 के अधीन उपबंधित रीति में पद से हटाने के लिए भी दायी होगा ।

(5) मुख्य आयुक्त और आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा (5) में अधिकथित क्रमशः राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की हैं । पूर्वोक्त उपधारा के सभी उपबंध इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त और आयुक्तों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(6) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन आयोग की कार्यदक्षता के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के जो आवश्यक हों, कमीशन उपलब्ध कराएगा । इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें वही होंगी जो विहित किया जाए ।

365

कतिपय परिस्थितियों में मुख्य आयुक्त या आयुक्त का हटाया जाना और निलंबन ।

16. (1) राज्य सरकार, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् मुख्य आयुक्त या किसी आयुक्त को उसके पद से हटा सकेगी, यदि वह

(i) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ii) किसी ऐसे अपराध, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, के लिए दोषसिद्ध किया गया है; या

(iii) शारीरिक या मानसिक रुप से अक्षम हो गया है; या

(iv) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे उक्त किसी क्षमता में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है;

(v) उसने अपने पद का दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहने देना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्वलित किसी बात के होते हुए भी, मुख्य आयुक्त या किसी आयुक्त को अपने पद से नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि, -

(i) राज्य सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के हटाए जाने के आधार और ऐसे प्रस्ताव का प्रस्ताव करने वाली सामग्री के साथ, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के हटाए जाने के प्रस्ताव पर, जांच या सिफारिश चाहते हुए संदर्भ नहीं किया गया है;

(ii) संदर्भ की, उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या पजांब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की अध्यक्षता में जांच समिति द्वारा सम्यक रुप से जांच नहीं की गई है ।

(iii) जांच समिति सिफारिश नहीं करती है कि मुख्य आयुक्त या आयुक्त को ऐसे आधार या आधारों पर हटा दिया जाना चाहिए ।

(3) राज्य सरकार, ऐसे मुख्य आयुक्त या आयुक्त, जिसकी बाबत उपधारा (2) के अधीन मुख्य न्यायमूर्ति को संदर्भ किया गया है, को निलंबित कर सकेगी ।

पंजाब सेवा का अधिकार आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

17.(1) यह आयोग का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे और सेवाओं के बेहतर परिदान को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव दे । इस प्रायोजन के लिए आयोग निम्नलिखित कर सकेगा, -

(क) धारा 10 के अधीन पुनरीक्षण को ग्रहण करना और उनका निपटान करना ;

(ख) इस अधिनियम के अनुसरण में सेवाओं के परिदान में विफलता की अपने आप से सूचना लेना और ऐसे मामलों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट करना या अपने आप ऐसे आदेश पारित करना जैसा वह समुचित समझे ;

(ग) सेवाओं के परिदान के लिए न्यस्त किए गए कार्यालयों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण करना ;

(घ) राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी जो इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन में विफल हुआ है, के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करना;

(ड.) सेवा के परिदान की प्रक्रियाओं में परिवर्तन, जो परिदान को और पारदर्शी तथा आसान बनाएगा की सिफारिश करना ;

परंतु ऐसी सिफारिश करने से पहले, आयोग विभाग के भारसाधक प्रशासनिक सचिव जिसे सेवा दी जानी है, से परामर्श करेगा;

(च) उपधारा(3) के अधीन, सिफारिश की गई अतिरिक्त अधिसूचनाएं अधिसूचित

करना और अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं में उपांतरण का भी सुझाव कर सकेगा; और

(छ) पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं होने वाले साधारण अनुदेश जारी करना।

(2) जहां आयोग का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों से उद्भूत मामलें में जांच करने के युक्तियुक्त आधार है, वह, स्वप्रेरणा से इस बाबत जांच प्रारम्भ कर सकेगा।

(3) आयोग को, इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय, निम्नलिखित मामलों की बाबत्, वही शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायाधीश में निहित होती है, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेजों या किसी चीज को पेश करने के लिए बाध्य करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और निरीक्षण अपेक्षित करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेखों या उनकी प्रतियों की अध्यपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना;

(च) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(4) आयोग, उसके कारबार के संचालन के लिए और किसी अन्य मामले के लिए, जैसा आयोग उचित समझे उसके विनियम बना सकेगा।

आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कार्रवाई

18.(1) राज्य सरकार, धारा 17 की उप-धारा (i) के खंड (घ), (ङ) और (च) के अधीन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करेगी और आयोग को तीस दिन की अवधि या ऐसी दीर्घ अवधि जो आयोग से परामर्श करके विनिश्चित की जा सकेगी, के भीतर कार्रवाई करने के लिए सूचना भेजेगा। ऐसी दशा में जिसमें सरकार आयोग की किन्ही सिफारिशों को लागू न करने का विनिश्चय करती है, तो वह आयोग को सिफारशों पर कार्रवाई न करने के कारण संसूचित करेगी।

(2) आयोग की की गई कार्रवाई और कार्रवाई न करने कारणों, यदि कोई हो, के साथ धारा 17 के अधीन उसके द्वारा की गई सिफारिशों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। राज्य सरकार पंजाब विधान सभा के पटल पर इस रिपोर्ट की एक प्रति रखवाएगी।

सदभानापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण

19. (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(2) आयोग द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई, केवल किसी रिक्ति की विद्यमानता के आधार पर या उसके गठन में किसी त्रुटि या अनियमितता या उसकी बैठक में किसी आयुक्त की अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन

20. किसी सिविल न्यायालय को किसी मामले जिसका संज्ञान और निपटान इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों अथवा विनियमों द्वारा सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है, के संबंध में कोई वाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

21. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे

नियम निम्नलिखित सभी या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) धारा 5 की उप-धारा (3) के अधीन सेवाओं के अभिलेख के रखरखाव का रूपविधान;

(ख) धारा 10 के अधीन किये गए आवेदन के निपटान के लिए प्रक्रिया;

(ग) धारा 15 की उप-धारा (6) के अधीन आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें;

(घ) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित किया जाए, या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गए प्रत्येक नियम, इनके बनाये जाने के शीघ्र पश्चात्, राज्य विधानसभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल दस दिवस की अवधि, जो एक सत्र या दो अथवा अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट की जा सकेगी, के लिए रखे जाएंगे, और यदि, सत्र, अव्यवहित आगामी सत्र या उपरोक्त क्रमवर्ती सत्रों की समाप्ति से पूर्व, सदन, नियमों में उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि नियम नही बनाये जाने चाहिए तो नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित प्ररूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विद्यमानता प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

22. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दो वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

23. (1) पंजाब सेवा का अधिकार अध्यादेश, 2011(पंजाब अध्यादेश सं. 2011 का 7), निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुसूची
(धारा 15(3) देखें)
**मुख्य आयुक्त/ आयुक्त द्वारा की जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान**

"मैं, अमुक, जो ..... मुख्य आयुक्त/आयुक्त नियुक्त हुआ हू ईश्वर की शपथ लेता हूं/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभूता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, तथा मै सम्यक् प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और उसके अधीन बनायी गई विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।"

गोबिन्दर सिंह
सचिव, पंजाब सरकार
विधि और विधायी कार्य विभाग

IndiaCode

<u>उपाबंध 2</u>

पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण), तारीख 06 मई, 2014

भाग 1

पंजाब सरकार

विधि और विधायी कार्य विभाग, पंजाब

अधिसूचना

तारीख 6 मई, 2014

सं.10- विधायी/2014.- पंजाब राज्य विधानसभा के इस अधिनियम पर अप्रेल, 2014 के 23 वे दिन पंजाब के राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई, या साधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण), तारीख 06 मई, 2014

**पंजाब सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014**

(पंजाब अधिनियम सं. 2014 का 10)

पंजाब राज्य सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में पंजाब राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (i) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पंजाब सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को या से प्रवृत होगा।

पंजाब अधिनियम 2011 का 24 की धारा 17 का संशोधन

2. पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 में, धारा 17 में उप-धारा (1) में,--

(i) खंड (च), में शब्द "और"का लोप किया जाएगा; और

(ii) खंड (छ), में अंत में आने वाले चिन्ह "." के स्थान पर ";और" चिन्ह और शब्द रखे जाएगें तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"(ज) पुनरीक्षण याचिका को विनिश्चित करते समय या अन्यथा, इस अधिनियम के अधीन सेवाओं के प्रदान किये जाने की प्रक्रिया में अन्तवर्लित पदाभिहित अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी अथवा पदधारी पर प्रत्येक मामले में दस हजार रूपये तक शास्ति अधिरोपित करेगा यदि आयोग की यह राय है कि संबद्ध व्यक्ति उस पर अधिरोपित कर्तव्य का सम्यक निर्वहन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है:

परंतु संबद्ध व्यक्ति को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा:

परंतु यह और कि आयोग, आदेश द्वारा, अधिरोपित रकम में से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी रकम, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी, देगा, जो इस प्रकार अधिरोपित की गई शास्ति की कुल रकम से अधिक नहीं होगी।"

एच. पी. एस माहाल,

सचिव, पंजाब सरकार,

विधि और विधायी कार्य विभाग

IndiaCode

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2017

**G.S.R. 1015 (E).** - In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, *The Punjab Right to Service Act, 2011 (Punjab Act 24 of 2011)*, and *The Punjab Right to Service (Amendment) Act, 2014 (Punjab Act 10 of 2014*, as in force in the State of Punjab on the date of this notification, subject to the following modifications, namely: -

## MODIFICATION

THE PUNJAB RIGHT TO SERVICE ACT, 2011
(PUNJAB ACT 24 OF 2011)

1. Throughout the Act, for the words "State of Punjab" wherever they occur, the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

2. In clause 1, in sub-clause (1), after the words and figures "Service Act, 2011", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

3. In clause 2, in sub-clause (k), for the words "the Government of the State of Punjab", the words "the Administrator of the Union territory of Chandigarh, appointed by the President under article 239 of the Constitution" shall be substituted.

4. In section 12, in sub-section (1), -

   a) for the words "Punjab Right to Service Commission", the words "Chandigarh Right to Service Commission" shall be substituted;

   b) in the proviso, for the words "Financial Commissioner", the words "Advisor to the Administrator" shall be substituted.

5. In section 13, -

   a) in sub-section (1), for the words "Leader of Opposition in the Punjab Vidhan Sabha", the words "the Central Government" shall be substituted;

   b) in sub-section (2), the words "Chief Secretary of the State of Punjab or" shall be omitted;

c) in sub-section (3), for the words "officers of All India Services from the Punjab cadre", the words "officers of All India Services from the Punjab or Haryana or Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram and Union territory cadre" shall be substituted.

6. In section 15, in sub-sections (3) and (4), for the words "the Governor" at both the places, the words "the Administrator" shall be substituted.

7. In section 18, in sub-section (2), for the words "Punjab Legislative Assembly", the words "Parliament" shall be substituted.

8. In section 21, in sub-section (3), for the words "the House of the State Legislature", the words "each House of Parliament" shall be substituted.

9. Section 23 shall be omitted.

**THE PUNJAB RIGHT TO SERVICE (AMENDMENT) ACT, 2014**

(PUNJAB ACT 10 OF 2014)

10. In section 1, in sub-section (1), after the words, brackets and figures "Service (Amendment) Act, 2014", words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.

IndiaCode

[F.No. U-11020/2/2014-UTL]

PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA, Addl. Secy.

**ANNEXURE-I**

**PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA.), OCT. 20, 2011**
(ASVN 28, 1933 SAKA)

**PART-I**

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 20th October, 2011

No.37-Leg./2011.- The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 19th October, 2011, is hereby published for general information:-

# THE PUNJAB RIGHT TO SERVICE ACT, 2011
(PUNJAB ACT 24 OF 2011)

AN

ACT

to provide for the delivery of services to the people of the State of Punjab within the given time limits and for matters connected therewith and incidental thereto.

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows: -

*Short title and commencement*

*1. (1)* This Act may be called the Punjab Right to Service Act, 2011.

*(2)* It shall come into force on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

*Definitions*

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Commission' means a Commission constituted under Section 12;

(b) 'Designated Officer' means an officer as notified under Section 3;

(c) 'eligible person' means a person who is eligible for obtaining services notified under Section 3;

(d) 'First Appellate Authority' means an officer who is notified as such under Section 3;

(e) 'given time limit' means maximum time to provide the service by the Designated Officer as notified under section 3;

(f) 'prescribed' means prescribed by rules made under this Act;

(g) 'right to service' means a right to obtain the service within the given time limit;

(h) 'service' means any service notified under Section 3;

(i) 'Second Appellate Authority' means an officer who is notified as such under Section 3;

(j) 'section' means a section of this Act; and

(k) 'State Government' means the Government of the State of Punjab.

IndiaCode

Notification of services, Designated Officers, First Appellate Authority, Second Appellate Authority and the given time limit.

3. *(1)*The State Government may, by notification from time to time, notify the services, to which this Act shall apply.

*(2)* The State Government may, by notification, specify the Designated Officer, First Appellate Authority, Second Appellate Authority and the given time limit for the purposes of this Act.

*Providing of services*

4. The Designated Officer shall provide the service to the eligible person within the given time limit.

*Procedure for obtaining service.*

5. *(1)* An eligible person shall make an application to the Designated Officer for obtaining any service under the provisions of this Act.

*(2)* The Designated Officer shall, on receipt of an application under sub-section (1), provide service or reject the application within the given time limit and in case of rejection of application, shall record the reasons in writing and intimate the same to the applicant.

*(3)* Every Designated Officer shall maintain detailed records of services applied for in a format as may be prescribed.

IndiaCode

*First appeal*

6. *(1)* Any eligible person, whose application for obtaining service is rejected under sub-section (2) of section 5 or who is not provided the service within the given time limit, may file an appeal to the First Appellate Authority within thirty days from the date of rejection or the expiry of the given time limit, as the case may be.

*(2)* On receipt of an appeal under sub-section (1), the First Appellate Authority shall consider the matter and if, in its opinion the grievance of the eligible person appears to be genuine, it may direct the Designated Officer to provide the service within such period, as may be specified by it and in case of default, to appear before it in person and explain reasons thereof.

*(3)* After affording an opportunity of hearing to the Designated Officer and the eligible person, the First Appellate Authority may pass an order either accepting the appeal or rejecting the same by an order made in writing and in the case of rejection, the reasons for rejection shall be specified by it in such order and shall communicate the same to the eligible person.

*(4)* An appeal made under sub-section (1) shall be finally disposed of by the First

Appellate Authority, as far as possible, within a period of thirty days of its receipt.

*Second appeal*

7.*(1)* Any eligible person, whose appeal for obtaining service is rejected or who is not provided the service within the time specified by the First Appellate Authority under section 6, may file an appeal to the Second Appellate Authority within thirty days from the date of such rejection or the expiry of the time specified by the First Appellate Authority.

*(2)* On receipt of an appeal under sub-section (1), the Second Appellate Authority may pass an order either accepting the appeal and directing the Designated Officer to provide service to the eligible person within such period as may be specified or reject the same in writing detailing the reasons for such rejection:

Provided that before rejecting the appeal, an opportunity of hearing to the eligible person shall be granted by the Second Appellant Authority:

Provided further that an order made by the Second Appellant Authority under this section shall be communicated to the eligible person:

Provided further that the appeal made under sub-section (1) shall be decided by the Second Appellate Authority, as far as possible, within a period of sixty days from the date of receipt of appeal.

IndiaCode

*Power to summon and inspection*

8. The First Appellate Authority and the Second AppellateAuthority shall, while deciding an appeal under the provisions of this Act, have the same powers as are vested in civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:

(a) requiring the production and inspection of documents;

(b) issuing summons for hearing to the Designated Officer and the appellant; and

(c) any other matter which may be prescribed.

*Penalty*

9. *(1)* (a) Where the Second Appellate Authority is of the opinion that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have failed to provide service without sufficient and reasonable cause, it may impose

a lump sum penalty on the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service, which shall not be less than rupees five hundred and not more than rupees five thousand;

(b) Where the Second Appellate Authority is of the opinion that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have caused undue delay in providing the service, it may impose a penalty at the rate of rupees two hundred and fifty per day for such delay on the Designated Officer and/or any official involved in the process of providing such service, which shall not be more than rupees five thousand:

Provided that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him/them under sub-clauses (a) and (b).

*(2)* The Second Appellate Authority may, by an order, give such amount as compensation to the appellant out of the amount of the penalty imposed under sub-section (1), as may be specified by it, which shall not exceed the total amount of the penalty so imposed.

*(3)* The Second Appellate Authority may, if it is satisfied that the Designated Officer and/or any other official involved in the process of providing such service has/have failed to discharge the duties assigned under this Act without sufficient and reasonable cause, recommend disciplinary action against the defaulters under the service rules applicable to them in addition to the penalty imposed under sub-section (1).

10. Any person may, who is aggrieved by any order of the Second Appellate Authority, make an application for revision of the said order to the Commission or an officer nominated in this respect under the proviso to sub-section (1) of section 12 within a period of sixty days from the date of such order, which shall be disposed of in the manner as may be prescribed:

Provided that the Commission or the officer nominated, as the case may be, may entertain the application after the expiry of the said period of sixty days, if it

or he is satisfied that the application could not be submitted in time for a reasonable cause.

*Display of services and the given time limit*

11. The services and the given time limit shall be displayed locally and on website by the Secretary of the Department concerned for information of the public.

Constitution of the Commission

12. *(1)* If in the opinion of the State Government, it is necessary or expedient so to do, it may, by notification, constitute for the purposes of this Act, a Commission to be called the Punjab Right to Service Commission:

Provided that till such time the Commission is not constituted by the State Government, it may, by notification, nominate an officer of the State Government, not below the rank of a Financial Commissioner to perform the functions and exercise the powers of the Commission under this Act.

*(2)* The Commission shall be a body corporate, known by the aforesaid name having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.

*(3)* The Head Office of the Commission will be at Chandigarh or at such place, as the State Government may notify from time to time.

*Composition of the Commission*

13. *(1)* The Commission shall consist of a Chief Commissioner and four Commissioners and their appointment shall be made by the State Government in consultation with the Leader of Opposition in the Punjab Vidhan Sabha.

*(2)* The Chief Commissioner shall be a retired officer in the rank and status of the Chief Secretary of the State of Punjab or Secretary to the Government of India.

*(3)* The Commissioners shall be retired officers of the Government of Punjab in the rank and status of a Secretary or its equivalent rank and status in any of the services of the State, including officers of All India Services from the Punjab cadre and/or expert in the field of Public

Administration or eGovernance with at least twenty years of experience in teaching or administration or from amongst other eminent public persons.

*Powers of the Chief Commissioner*

14. *(1)* The Chief Commissioner shall have powers of general Superintendence and direction in the conduct of the affairs of the Commission. The Chief Commissioner shall preside over the meetings of the Commission as well as exercise and discharge the powers and functions of the Commission vested in him in accordance with the regulations framed under sub-section (4) of section 17.

*(2)* In case of absence of the Chief Commissioner or a vacancy in the office of the Chief Commissioner, the State Government may nominate one of the Commissioners to perform the functions and exercise the powers vested in the Chief Commissioner as long as the vacancy or absence continues.

*(3)* A Commissioner nominated to discharge the functions and powers of the Chief Commissioner under sub-section (2) shall not be entitled to any compensation, allowance or facility in addition to what he would be entitled to as a Commissioner.

*Term of office and conditions of service of Chief Commissioner and Commissioners*

15. *(1)* The Chief Commissioner and the Commissioners shall hold office for a term of five years from the date on which they enter upon the respective offices, or until they attain the age of sixty-five years, whichever is earlier and they will not be entitled for re-appointment.

*(2)* If a person already holding an office appointed as the Chief Commissioner or Commissioner, he shall have to resign or seek retirement from that office before joining the Commission.

*(3)* The Chief Commissioner or a Commissioner shall, before he enters upon his office, make and subscribe to, before the Governor or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Schedule.

IndiaCode

*(4)* The Chief Commissioner or a Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office. He would also be liable for removal from the office in the manner provided under section 16.

*(5)* The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chief Commissioner and the Commissioners shall be the same as those of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners respectively as laid down in sub-section (5) of section 16 of the Right to Information Act, 2005. All provision of the aforesaid sub-section shall apply mutatis mutandis to the Chief Commissioner and the Commissioners appointed under this Act.

*(6)* The State Government shall provide the Commission with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the Commission under this Act. The salaries, allowances and conditions of service of the officers and other employees so appointed shall be such as may be prescribed.

IndiaCode

*Removal and suspension of the Chief Commissioner or a Commissioner from office in certain circumstances.*

16. *(1)* The State Government may remove the Chief Commissioner or any Commissioner from office after complying with the provisions of sub-section (2), if he has, -

(i) been adjudged insolvent; or

(ii) been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(iii) become physically or mentally incapable; or

(iv) acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions in any of the said capacities; or

(v) so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to public interest.

*(2)* Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Chief Commissioner or any Commissioner, shall not be removed from his office, unless, -

(i) a reference is made by the State Government to the Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana seeking an enquiry and recommendation on the proposed removal of the Chief Commissioner or the Commissioner along with the grounds for the removal and material supporting such proposal;

(ii) the reference is duly enquired into by an inquiry committee headed by a sitting or retired High Court Judge or any other person appointed by the Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana; and

(iii) the inquiry committee makes recommendation that the Chief Commissioner or the Commissioner ought to be removed on such ground or grounds.

*(3)* The State Government may suspend the Chief Commissioner or the Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Chief Justice under sub-section (2).

*Powers and functions of the Punjab Right to Service Commission.*

17. *(1)* It shall be the duty of the Commission to ensure proper implementation of this Act and to make suggestions to the State Government for ensuring better delivery of services. For this purpose the Commission may, -

(a) entertain and dispose of revisions under section 10;

(b) take suo moto notice of failure to deliver service in accordance with this Act and refer such cases for decision

to the First Appellate Authority or the Second Appellate Authority or pass such order itself as may be appropriate;

(c) carry out inspections of offices entrusted with the delivery of services and the offices of the First Appellate Authority and the Second Appellate Authority;

(d) recommend Departmental action against any officer or employee of the State Government who has failed in due discharge of functions cast upon him under this Act;

(e) recommend changes in procedures for delivery of services which will make the delivery more transparent and easier :

Provided that before making such a recommendation, the Commission shall consult the Administrative Secretary in-charge of the Department which is to deliver the service;

(f) recommend additional notifications to be notified under section 3 and may also suggest modifications in the notifications already issued for better implementation of this Act; and

(g) issue general instructions, not inconsistent with the provisions of this Act for the guidance of Designated officers, the First Appellate Authorities and the Second Appellate Authorities.

*(2)* Where the Commission is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into a matter arising out of the provisions of this Act, it may, suo moto, initiate an inquiry in respect thereof.

IndiaCode

*(3)* The Commission shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely: -

(a) summoning and enforcing the attendance of persons, compelling them to give oral or written evidence on oath and producing documents or things;

(b) requiring the discovery and inspection of documents;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public records or copies thereof from any court or office;

(e) issuing summons for examination of witnesses or documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

*(4)* The Commission may frame its regulations for the conduct of its business and any such matter, as the Commission may deem fit.

IndiaCode

*Action by the Government on recommendation of the Commission.*

18. *(1)* The State Government shall consider the recommendations made by the Commission under clauses (d), (e) and (f) of sub-section (1) of section 17 and send information to the Commission of action taken within thirty days or such longer time as may be decided in consultation with the Commission. In case the Government decides not to implement any of the recommendations of the Commission, it will communicate the reasons for not acting on the recommendations to the Commission.

*(2)* The Commission shall prepare an annual report of the recommendations made by it under section 17 along with the action taken and reasons for not taking action, if any. The State

Government shall cause a copy of this report to be laid on the table of the Punjab Legislative Assembly.

*Protection of action taken in good faith*

19. *(1)* No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or any regulation made thereunder.

*(2)* No act done or proceedings taken under this Act by the Commission shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy or by reason of defect or irregularity in its constitution or absence of any Commissioner in its meeting.

*Bar of jurisdiction of courts.*

20. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter the cognizance of which can be taken and disposed of by any authority empowered by this Act or the rules or regulations made thereunder.

IndiaCode

*Powers to make rules*

21.(1) The State Government may, by notification, in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

*(2)* In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) the format to maintain the records of services under sub-section (3) of section 5;

(b) the procedure for disposing of an application made under section 10;

(c) salaries, allowances and conditions of service of the officers and other employees of the Commission under sub-section (6) of section 15; and

(d) any other matter which is required to be, or may

be prescribed.

*(3)* Every rule made by the State Government under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of ten days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule, or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

IndiaCode

*Power to remove difficulties.*

22. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the same:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

Repeal and saving

23. *(1)* The Punjab Right to Service Ordinance, 2011 (Punjab Ordinance No. 7 of 2011), is hereby repealed.

*(2)* Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act.

## THE SCHEDULE
**[See Section 15(3)]**
## FORM OF OATH OR AFFIRMATION TO BE MADE BY THE CHIEF COMMISSIONER/COMMISSIONER

"I, .....having been appointed Chief Commissioner/Commissioner swear in the name of God that I will

bear true solemnly affirm faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favour, affection orand that I will uphold the Constitution of India and the laws made thereunder."

GOBINDER SINGH,

Secretary to Government of Punjab,

Department of Legal and Legislative Affairs.

**ANNEXURE-II**

IndiaCode

PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), MAY 06, 2014

**PART-I**

Government of Punjab

DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB

NOTIFICATION

The 6th May, 2014

No.10-Leg./2014.- The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 23rd Day of April, 2014, is hereby published for general information:-

THE PUNJAB RIGHT TO SERVICE (AMENDMENT) ACT, 2014

(PUNJAB ACT NO. 10 OF 2014)
AN
ACT

*further to amend the Punjab Right to Service Act, 2011.*

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows: -

*Short title and commencement*

*(1)* This Act may be called the Punjab Right to Service (Amendment) Act, 2014.

*(2)* It shall come into force on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab Right to Service Act, 2011, in section 17, in sub-section *(1)*.-

*Amendment in section 17 of Punjab Act 24 of 2011*

*(i) in clause (f), the word "and" shall be omitted: and*

*(ii) in clause (g), for the sign "." appearing at the end, the sign and word "; and" shall be substituted and thereafter the following clause shall be added, namely:-*

*"(h) while deciding the revision petitions or otherwise impose a penalty up to rupees ten thousand per case on the Designated Officer or any other officer or official involved in the process of providing service under the Act, if the Commission is of the opinion that the person concerned has failed without sufficient cause in due discharge of the duty cast on him:*

*Provided that the person concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed upon him:*

*Provided further that the Commission, by an order, give such amount as compensation to the appellant out of the amount of penalty imposed, as may be specified by it, which shall not exceed the total amount of penalty so imposed."*

H.P.S. MAHAL,
Secretary to Government of Punjab,
Department of Legal and Legislative Affairs

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.22 22:51:22 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.